स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के कर्मचारियों के लिये जारी चैक

1401. श्री राम नरेश यादव : क्या वित्त मंत्री मई, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1472 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के प्रबंधकों ने उत्तर में राशि कम करके मात्र 31,000 रुपये दर्शाई हैं,

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के नाम 32,956.50 रुपये की राशि का चैक जारी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) दोनों राशियों के मध्य अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भाग (ख) में उल्लिखित राशि को ही "न्यासी भविष्य निधि" के खाते में डाला जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं कि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया गया है और गलत जानकारी देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि 10-5-1988 को अतारांकित प्रश्न सं० 1472 का उत्तर देते समय, उस अनुमोदित धन राशि का लेखा-जोखा दिया था, जिस कर्मचारी के लिए देय होने की संभावना थी, क्योंकि बैंक ने दावे के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए थे। 30-6-1988 को दावे के दस्तावेज के प्राप्त होने पर वास्तविक देय धन राशि जो परिकलित की गई, वह 32,956.50 रुपए थी।

(घ) और (ङ) बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने एक कर्मचारी के पक्ष में 32,956.50 रुपए का एक चैक आरक्षित किया था, जिसे उस शाखा को भेज दिया गया था, जहां वह कर्मचारी तैनात था। उक्त चैक गैर सुपुर्दगी के लौटा आया, क्योंकि कर्मचारी ने चैक को लेने से इन्कार कर दिया था। वह गैर सुपुर्दगी वाला चैक, स्टेट बैंक आफ इन्दौर के मुख्यालय में अभी तक रखा हुआ है। बैंक ने आगे यह भी बताया कि 32,956.50 रुपए की धन राशि बैंक के न्यासी भविष्य निधि के नामे नहीं डाला गया है।

Gold Legally Brought into the Country

1402. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: SHRI KRISHAN LAL SHARMA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) amount of gold that came to India under the current gold policy and the revenue earned during the years;

(to) the details of persons who brought maximum quantity of gold alongwith the quantum of gold brought;

(c) whether it is a fact Government pro pose to give some cash incentive to the persons for bringing more gold into the country : and

(d) if so, the details of the incentives proposed and by when these are likely to be implemented" ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY: AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Quantity of gold imported and revenue earned as duty in convertible currency are shown below :—

Period	Quantity (in Tonnes)	Duty (In crores)
1-3-92 to 31-12-92	92.14	210.36
1-1-93 to 30-11-93	108.46	238.46

(b) The maximum quantity permissible for import by a person under the Gold Import Scheme is 5 Kg. once in six months. No statistics are maintained about the number of visits made by a person and the total quantity imported by him on such visits.

(c) and (d) No such proposal is under consideration.

बैंकों की नवीन शाखाओं का खोला जाना

1403. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नवीन शाखाएं खोलने हेतु अनुज्ञप्ति प्रणाली में ढील दी है अथवा नियमों में संशोधन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और गत वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) 1985–90 के शाखा विस्तार का उद्देश्य प्रत्येक खंड के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 की जनसंख्या कवरेज (1981 की जनगणना) प्राप्त करना था ताकि बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में व्यापक स्थानिक दूरियों को कम किया जा सके जिससे सामान्यतया 10 कि० मी० की दूरी के अंदर-अंदर एक ग्रामीण शाखा उपलब्ध हो। पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों और छुट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों की विलक्षण विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या मानदंड को शिथिल करके प्रति बैंक कार्यालय 10,000 कर दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने से 1989 के अंत तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या कम होकर 13,000 हो गई है। इस समय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की 35,313 शाखाओं का नेटवर्क है। तथापि, सामान्यतया दो कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवयकता होगी :

I. आवंटित गांवों की अधिक संख्या, सेवा प्रदान किए जाने वाले ग्राहकों की संख्या और सेवा क्षेत्र में अंतर्ग्रस्त लंबी दूरियों/असुविधाजनक भूभागों के कारण बैंक शाखा को आवंटित क्षेत्र अनियंत्रणीय हो सकता है।

II. ग्रामीण शाखा के कारोबार में वृद्धि होने से न्यायोचित रूप से एक अर्थक्षम अतिरिक्त बैंक शाखा की आवश्यकता।

भारतीय रिजर्व बैंक के 1990—95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत, उनकी ग्रामीण शाखाओं के संबंधित सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवश्यकता के मूल्यांकन का काम अब अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ा गया है।

1-4-1992 से 31-3-1993 के दौरान खोली गई बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

1-4-92 से 31-3-1993 के दौरान खोली गई बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या

राज्य	खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या
अण्डमान एवं निकोबार	2
आन्ध्र प्रदेश	42
बिहार	23
चंडीगढ़	5
दिल्ली	15
गोवा	3
गुजरात	37